न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 09 आर 15/08–09

रुकमणि देवी वगैरह अपीलकर्ता

बनाम

शनिचरवा उरॉव प्रतिवादी

आदेश

7/07.07.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 123/05 में श्री देवनीस किरो, विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 25.2.2008 को पारित आदश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
हेसल	74	659	2 कट्टा 14 छटॉक

अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन पर अपीलकर्ता का हक एवं दखल है जिसे उन्होंने निबंधित बिक्री पट्टा संख्या 1564 दिनांक 6.2.1985 द्वारा मकान सहित खरीदा है। विक्रेता ने यह जमीन निबंधित बिक्री पट्टा संख्या 10474 दिनांक 30.9.1981 से खरीदा था। प्रतिवादी एवं उनके पूर्वज लगभग 60 बर्षों से विवादित जमीन से बेदखल हैं जब 1945 में जमीन का प्रथम हस्तांतरण हुआ था। पूर्व में प्रतिवादी ने एस ए आर वाद संख्या 215/2000 दायर किया था जिसका निर्णय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हुआ। परन्तु पुनः प्रतिवादी ने निम्न न्यायालय में एस ए आर वाद सेख्या 123/05 भगवान साहु के विरुद्ध 2 कट्टा जमीन के लिए दायर किया। उस वाद में रुकमणि देवी को 3 कट्टा जमीन के लिए पक्षकार बनाया गया जिन्होंने जवाब दाखिल कर बताया कि पूर्व में कई एस ए आर वाद इस जमीन पर हो चुका है एवं सभी वादों का निर्णय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हुआ है। अपीलकर्ता ने तीन गवाह भी निम्न न्यायालय में प्रस्तुत किया जिन्होंने अपीलकर्ता के दावे का समर्थन किया एवं बयान दिया कि अपीलकर्ता का दोमंजिला मकान विवादित जमीन पर अवस्थित है जो 1969 के पूर्व का बना हुआ है। प्रतिवादी निम्न न्यायालय में न तो उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता ने निम्न न्यायालय में

पूर्व के आदेशों की प्रति भी दाखिल किया परन्तु निम्न न्यायालय ने इन सारे तथ्यों की अनदेखी करते हुए जमीन वापसी का आदेश पारित किया। अपील आवेदन में यह दावा किया गया है कि निम्न न्यायालय का एस ए आर वाद रेसजुडीकाटा से प्रभावित है। निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि पूर्व में एस ए आर वाद संख्या 140/01–02 टी आर 724/03–04 में प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया था कि खेसरा संख्या 660 एवं 661 के सम्पूर्ण भाग में मकान बना हुआ है एवं उस वाद का निर्णय धारा 71 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हो चुका है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान अनुपस्थित थे, अतः उन्हें लिखित बहस दाखिल करने का अवसर प्रदान किया गया। परन्तु उनकी ओर से किसी प्रकार का लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया।

प्रस्तुत अभिलेख में अपीलकर्ता ने कहा है कि पुर्व में वाद संख्या 215/2001 में श्री एम एम राय के न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसला हुआ था और उस कारण पूर्वादेश (रेसजुडीकाटा) से प्रभावित है। इस संदर्भ में वर्तमान न्यायालय में वैसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया और एम एम राय का न्यायालय शहरी क्षेत्र के एस ए आर वादों को सुनने हेतु प्राधिकृत नहीं था। जो भी इस प्रकार के आदेश उनके द्वारा दिये गये वे सभी उपायुक्त, रॉची द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं।

अपीलकर्ता को नन्द किशोर चौधरी ने निबंधित पट्टा से उपरोक्त भूमि हस्तांतरित किया। विक्रेता को कैसे हासिल हुआ यह स्पष्ट नहीं है। पट्टे में केवल भूमि मय मकान लिखने से आदिवासी भूमि का हस्तांतरण नियमित नहीं माना जा सकता।

अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त भूमि का हस्तांतरण अवैध और अनियमित है। अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है। भूमि वापसी हेतु अंचल अधिकारी, शहर को निर्देश भेजें और निम्न न्यायालय को भी अवगत करा दें।

दिनांकः– 7.07.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0/–

अपर समाहर्ता,
रॉची।